क्रम-संख्या-350(ख-3)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन० पी० 561
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

इलाहाबाद, गुरूवार, 15 नवम्बर, 2007 ई०

(कार्तिक 24, 1929 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

किसान मण्डी भवन, द्वितीय तल
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ—226010

संख्या यू०पी०ई०आर०सी० / सचिव / विनियमावली / 2007—1487

लखनऊ, 15 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियमावली, 2000
प्रथम संशोधन आदेश 2007

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91(4) एवं उपधारा—4 एवं उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—24 सन् 1999) की धारा—8 की उपधारा—2, धारा—9 की उपधारा—4 और धारा—52 की उपधारा—1 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों, जहाँ तक वे विद्युत अधिनियम, 2003 से असंगत नहीं है, एवं इस निमित्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतदद्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियमावली, 2000 जिसे उत्तर प्रदेश गजट सूचना संख्या—यू०पी०ई०आर०सी० / 494 / एलएक्सएक्स—2000, दिनांक 16 मार्च, 2000 द्वारा सूचित किया गया, की विभिन्न धाराओं में निम्नलिखित संशोधन, जिनकी विस्तृत सूचना नीचे दी गयी सारणी में उल्लिखित है, करता है –

धारा सं०	जैसा कि वर्तमान विनियमावली में है	जैसा कि संशोधित किया गया
2	इस विनियमावली में आये हुये शब्दों या पदों का जो कि इसमें परिभाषित न हो परन्तु अधिनियम में परिभाषित हो, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में या उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में उनके लिये किया गया है।	इस विनियमावली में आये हुये शब्दों या पदों का जो कि इसमें परिभाषित न हो परन्तु अधिनियम में परिभाषित हो, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में या उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियमावली, 2004 जैसी कि समय—समय पर सशोधित की गयी हो, में उनके लिये किया गया है।

धारा सं0	जैसा कि वर्तमान विनियमावली में है	जैसा कि संशोधित किया गया
7(3)	आयोग तकनीकी बोली के लिये न्यूनतम अर्हता अंक विहित करेगा।	आयोग प्रत्येक परामर्शी कर्तव्यभार हेतु तकनीकी अर्हता आवश्यकता विनिर्दिष्ट करेगा और उन सभी मामलों में जहाँ आयोग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग–अलग दो भागों में आमंत्रित करना विनिश्चित करता है, तकनीकी प्रस्ताव केवल उन्हीं परामर्शी फर्मों द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे जो कि आयोग द्वारा विशिष्ट कर्तव्यभार हेतु विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हता आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। तकनीकी आवश्यकता को पूर्ण करने वाली परामर्शी फर्मों को वित्तीय प्रस्ताव खोलने के दिन एवं समय से अवगत कराया जायेगा। ऐसी परामर्शी फर्मों को वित्तीय प्रस्ताव खुलने के समय उपस्थित होने हेतु समुचित समय दिया जायेगा।
10	प्रस्तावों का मूल्यांकन गुणवत्ता और मूल्य दोनों के ही आधार पर किया जायेगा। जहाँ आयोग यह निश्चय करे कि प्रस्तावों का मूल्याँकन पृथक रूप से तकनीकि और वित्तीय आधार पर किया जाये, वहाँ तकनीकि प्रस्तावों के मूल्याँकन कर्ता की वित्तीय प्रस्तावों तक पहुँच नहीं होगी जब तक कि तकनीकि मूल्याँकन समाप्त न हो जाये।	विलोपित ।
11 (1)	तकनीकि मूल्याँकन आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति के द्वारा नीचे उल्लिखित मानदण्ड पर विचार करते हुये किया जायेगा। प्रत्येक मानदण्ड को 1 से 100 तक के पैमाने पर चिन्हित किया जायेगा और तब औसत तकनीकि अंकों को जानने के लिये प्रत्येक मानदण्ड के अंकों को संविभाजित किया जायेगा। आयोग के अनुमोदन से प्रत्येंक प्रस्ताव के संविभाजित औसत तकनीकि सममंक की गणना के लिये तकनीकि	विलोपित ।

धारा सं0	जैसा कि वर्तमान विनियमावली में है	जैसा कि संशोधित किया गया

समिति द्वारा निम्नलिखित श्रेणीबद्धता से संकविभाजन प्रयोग किये जायेंगे :–

मानदण्ड	संविभाजन की श्रेणीबद्धता
कर्तव्यभार के लिये परामर्शियों का सुसंगत अनुभव	0.10 से 0.40
प्रस्तावित वर्गीकरण की गुणवत्ता	0.20 से 0.50
प्रस्तावित मूल कर्मचारियों की अर्हतायें आयोग के कर्मचारी वर्ग को ज्ञान के अंतरण की सीमा	0.30 से 0.60 0.05 से 0.35

टिप्पणी:–आयोग द्वारा अनुमोदित संविभाजनों का योग 1 होगा।

11 (2) जहाँ कर्तव्यभार मूल कर्मचारी वर्ग के सम्पादन पर समीक्षात्मक रूप से निर्भर हो, वहाँ प्रस्ताव का मूल्याँकन नियुक्ति किये जाने वाले प्रस्तावित व्यक्तियों की अर्हताओं पर निम्नलिखित मानदण्ड का प्रयोग करते हुये किया जायेगा :–

विलोपित।

क. सामान्य निर्देश : सामान्य शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुभव की अवधि, धृत पद, कर्मचारी वर्ग के रूप में परामर्शी फर्म में समय, विकासशील देशों आदि का अनुभव।

ख. कर्तव्यभार के पर्याप्तता :–शिक्षा, प्रशिक्षण, निर्दिष्ट प्रभाग, क्षेत्र, विशिष्ट कर्तव्यभार के सुसंगता।

ग. क्षेत्रीय अनुभव :– स्थानीय/क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली, संगठन और संस्कृति का ज्ञान।

11 (3) तकनीकि मूल्याँकन पूर्ण हो जाने के पश्चात आयोग उन परामर्शियों को सूचित करेगा जिनके प्रस्ताव न्यूनतम अर्हता अंक नहीं पाये या निर्देश–निबंधन के लिये गैर प्रति उत्तरदायी समझे गये और उनके वित्तीय प्रस्ताव चयन प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के पश्चात बिना खोले हुये ही वापस कर दिये जायेंगे। इसके साथ ही उन परामर्शियों को जिन्होंने न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये है, वित्तीय प्रस्तावों के खोलने के दिनाँक और समय के विषय में परामर्शियों के खुलने के समय पर उपस्थित होने के लिये पर्याप्त समय देते हुये यदि ऐसी इच्छा करे सूचित किया जायेगा।

विलोपित ।

धारा सं0	जैसा कि वर्तमान विनियमावली में है	जैसा कि संशोधित किया गया
12 (3)	न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को 100 वित्तीय अंक दिये जायेंगे और अन्य प्रस्तावों को उसी प्रकार वित्तीय अंक दिये जायेंगे जो उनके मूल्यों के प्रतिलोमतः समानुपाती हो।	न्यूनतम मूल्याँकित कीमत प्रस्तावित करने वाली परामर्शी फर्म को अनुबन्ध दिया जायेगा।
13(1)	तकनीकि और वित्तीय अंकों का समविभाजन करके और उन्हें जोड़ करके कुल समंक प्राप्त किया जायेगा। कर्तव्यभार की जटिलता और गुणवत्ता के सापेक्ष महत्व की गणना करते हुये वित्तीय समंक का संविभाजन उतना होगा जितना कि प्रत्येक मामले में आयोग द्वारा विहित है। तथापि संविभाजन किसी भी मामले में कभी भी वित्तीय समंक के लिये 0.3 से अधिक नहीं होगा।	विलोपित।
13 (2)	आयोग तकनीकी और वित्तीय दोनों बातचीतों को करने के लिये एक बातचीत समिति नियुक्त कर सकती है। जब तकनीकी बातचीत चल रही हो तो उन्हें परामर्शियों की पूर्व अर्हता के पहले पूरा किया जायेगा। वित्तीय बातचीत को वित्तीय प्रस्ताव के किसी बिन्दु के लिये जिसके अन्तर्गत कर्मचारीवर्ग मास, आकस्मिक धनराशियॉ, यात्रा और निर्वाह व्यय की एक मुस्त प्रतिपूर्ति और भुगतान निबंधन सम्मिलित है, प्रारम्भ की जा सकती है।	आयोग न्यूनतम मूल्याँकित बोली लगाने वाले से समझौते हेतु एक समझौता समिति नियुक्त कर सकती है।

आयोग के आदेश से
अरुण कुमार श्रीवास्तव,
सचिव।